संख्याः- 33 /2018/ 2111/अड़तीस-7-2018-391नरेगा/2012

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
1. सुलतानपुर, मेरठ, जौनपुर, हमीरपुर, लखनऊ, गाजीपुर, चित्रकूट, श्रावस्ती, बलरामपुर, संतकबीरनगर, आजमगढ, फैजाबाद, महोबा, सिद्धार्थनगर, मुरादाबाद, गोरखपुर, बलिया, औरैया, पीलीभीत, भदोही, सम्भल, रामपुर, वाराणसी, चन्दौली, कानपुर देहात, झांसी अमरोहा एवं शाहजहॉपुर।
(प्रथम किश्त के सापेक्ष लक्ष्य पूर्ति न करने वाले जनपद)
2. मेरठ, उन्नाव मथुरा, कुशीनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर, मुरादाबाद , संतकबीरनगर, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, महोबा, खीरी, बहराइच एवं गोरखपुर।
(द्वितीय किश्त के सापेक्ष अनारम्भ केन्द्र वाले जनपद)

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊः दिनांकः 23 अक्टूबर, 2018

विषयः- मनरेगा, आई0सी0डी0एस0, पंचायती राज के मध्य कन्वर्जेन्स के अन्तर्गत आंगनबाडी केन्द्रों के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि प्रदेश में मनरेगा, आई0सी0डी0एस0 एवं पंचायती राज के मध्य कन्वर्जेन्स के अन्तर्गत आंगनबाडी केन्द्रों का निर्माण कराया जा रहा है। आंगनबाडी केन्द्र निर्माण मा0 मुख्यमंत्री जी के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने वाले समीक्षा बिन्दुओं में सम्मिलित हैं एवं इन आंगनाबाडी केन्द्रों को त्वरित गति से पूर्ण कराये जाने के लिए राज्य स्तर पर नियमित समीक्षा की रही है।

2- राज्य स्तर पर की गयी समीक्षा में Rural Soft पर उपलब्ध आंकडों (सूची संलग्न) के अनुसार प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में आंगनबाडी केन्द्र निर्माण हेतु ICDS द्वारा निर्गत प्रथम किश्त 9029 के सापेक्ष 8837 आंगनबाडी केन्द्रों पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं 192 आंगनबाडी केन्द्र अपूर्ण हैं। इसके साथ ही ICDS द्वारा द्वितीय किश्त 1396 के सापेक्ष 134 आंगनबाडी केन्द्रों पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं 293 केन्द्रों पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि मनरेगा योजनान्तर्गत् टिकाऊ परिसम्पत्तियों के सृजन एवं उच्च स्तर के समीक्षा बिन्दुओं में सम्मिलित होने के दृष्टिगत आंगनबाडी केन्द्र निर्माण महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।

3- अतः आपसे अपेक्षित है कि ऐसे आंगनबाडी केन्द्र जिनकी ICDS द्वारा द्वितीय किश्त निर्गत किये जाने के उपरांत भी कार्य शुरू नहीं किया गया है, पर प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के अंदर कार्य शुरू कराते हुए ICDS द्वारा निर्गत प्रथम किश्त के सापेक्ष आंगनबाडी केन्द्रों को भी दिनांक 25-10-2018 तक पूर्ण कराने की कार्यवाही अवश्य ही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है।अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या एवं तददिनांक:-

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश शासन।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
4. अपर आयुक्त, मनरेगा, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक , उत्तर प्रदेश।
6. समस्त परियोजना निदेशक/उपायुक्त, श्रम रोजगार, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से

विजय बहादुर वर्मा
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।